न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतडी जिला झुन्झुनूं राज0

पीठासीन अधिकारी — विनोद कुमार (आर.जे.एस.)

निर्णय दिनांक — 25 मार्च 2026

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या — 172/2019

सीआईएस नंबर — 172/2019

सीएनआर नंबर — RJJH070010902022

झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बनाम भगवती वगैरह

अपराध अन्तर्गत धारा–138 प्रकाम्य लिखत अधिनियम, 1881

भाग–प्रथम

A

परिवादी	झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड भुगतान केंद्र तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू (राज0)
प्रस्तुतकर्ता	परिवादी झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जरिये अधिवक्ता श्री सुनिल राजोरिया
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. भगवती उर्फ भगवानी पुत्री श्री पालाराम निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज. (उन्मोचित दिनांक 17.01.2024) 2. रामस्वरूप पुत्र श्री बिड़दाराम निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री ग्यारसीलाल
अधिवक्ता परिवादी	श्री सुनिल राजोरिया

B

अपराध की दिनांक	29.11.2017 से निरन्तर
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	–
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	–
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	03.02.2024
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	20.04.2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	25.03.2026
निर्णय दिनांक	25.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	–

C
अभियुक्त का विवरण

क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01.	रामस्वरूप पुत्र श्री पालाराम			धारा 138 प्रकाम्य लिखत अधिनियम 1881	दोषमुक्त		–

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची
अ–परिवादी गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0डब्ल्यू 01	रामेश्वर लाल	परिवादी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
डीडब्ल्यू 01	रामस्वरूप	अभियुक्त

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

परिवादी/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ– परिवादी प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श –01	असल चैक
02	प्रदर्श –02	चैक जमा पर्ची
03	प्रदर्श –03	डाक रसीद
04	प्रदर्श –04	डाक रसीद
05	प्रदर्श–05	विधिक नोटिस
06	प्रदर्श–06	रिटर्न मैमो

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श डी 01 लगायत प्रदर्श पी 10	लोन की रसीदें

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
––	––	––

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

निर्णय दिनांक 25.03.2026

01. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक ने अभियुक्तगण भगवती उर्फ भगवानी व रामस्वरूप पुत्र श्री पालाराम के विरूद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम के तहत परिवाद मय कागजात दिनांक 29.01.2019 को न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त संख्या 01 ने परिवादी से अपनी कृषि भूमि पर ट्रेक्टर व अन्य कृषि संयंत्र के लिए ऋण लिया एवं इस पेटे अभियुक्त संख्या 02 ने विधिक ऋण अदायगी के उत्तरदायित्व के पेटे परिवादी को एक चैक संख्या 151663 दिनांक 29.11.2018 को अपने खाता संख्या 3555 में झुंझुनू केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा खेतड़ी का राशि 77,045/– रूपये का अपना हस्ताक्षरित कर परिवादी को उसके शाखा कार्यालय खेतड़ी में दिया। परिवादी ने अभियुक्त के द्वारा दिये गये उक्त चैक को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी में अपने खाता संख्या 02/265 में भुगतान प्राप्त करने हेतु दिनाक 29.11.2018 को जमा करवाया जो अभियुक्त के द्वारा अपने खाता में भुगतान हेतु पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण से अनादरित हो गया जिस पर दिनांक 03.12.2018 को परिवादी के बैंक ने अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि होने के समाशोधन वापसी रजिस्टर के जवाबी अन्तरण तथा अपने मैमोरेन्डम के साथ परिवादी को लौटा दिया। अभियुक्त के द्वारा दिया गया चैक का भुगतान परिवादी को नहीं हो

सका है। मुलजिमान द्वारा परिवादी बैंक को दिया गया चैक संख्या 151663 को ज्ञापन के साथ अनादरित करते हुए लौआने के पश्चात परिवादी की ओर से दिनांक 22.12.2018 को मुलजिम को उक्त चैक राशि के भुगतान हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए डी भेजा गया परंतु अभियुक्त द्वारा आज तक उक्त चैक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अतः परिवाद पत्र पेश कर निवेदन है कि अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 1881 के तहत प्रसंज्ञान लिया जावे तथा अभियुक्तगण को उसके द्वारा दिये गये चैक संख्या 151663 में वर्णित राशि 77,045/– की दुगुनी राशि 154090/– रूपये अभियुक्त से परिवादी को दिलवाई जावे।

02. न्यायालय द्वारा परिवाद, शपथ पत्र व दस्तावेजात को देखने से प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम का अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 06.03.2019 को इस अपराध का प्रसंज्ञान लिया व अभियुक्त को तलब किया। दिनांक 17.01.2024 को अभियुक्त भगवती उर्फ भगवानी को धारा 138 एनआई एक्ट में उन्मोचित किया गया तथा अभियुक्त रामस्वरूप के विरुद्ध विचारण शेष रहा जिस पर दिनांक 03.02.2024 को अभियुक्त रामस्वरूप को अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की विशिष्टियों का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध करने से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। मामले का विचारण तथ्यों की जटिलता के चलते संक्षिप्त न किया जाकर सम्मन प्रकरण की भांति किया जाकर गवाह के बयान विस्तृत रूप से लिये गये।

03. पत्रावली साक्ष्य परिवादी के स्तर पर श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुन्झुनूं के आदेश क्रमांक 1337 दिनांक 17.02.2021 की पालना में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतडी से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई तथा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. परिवादी की ओर से अपने परिवाद के समर्थन में **मौखिक साक्ष्य** में पृष्ठ संख्या 02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। तत्पश्चात्

परिवादी की साक्ष्य से प्रकट समस्त दोषकारी परिस्थितियां अभियुक्त को समझाई गई अभियुक्त ने उनका स्पष्टीकरण अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता में अपनी इच्छानुरूप देते हुए कथन किये कि चैक की राशि परिवाद प्रस्तुत करते समय 77,000/– रूपये ही बकाया था। परिवाद प्रस्तुत करते समय चैक राशि के अलावा कोई राशि बकाया नहीं थी। मैंने बैंक से 5 लाख रूपये का लोन लिया था। जो मैंने मेरी माता के साथ संयुक्त रूप से लिया था जिसमें से साढे नौ लाख (9,50,000/–)रूपये बैंक में परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही जमा करवा चुका हूं। जिसकी रसीद मेरे पास है।

05. साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा। साक्ष्य सफाई में स्वयं को परीक्षित करवाया। बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया गया।

06. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया है कि चैक पर हस्ताक्षर बाबत अभियुक्त को कोई आपत्ति नहीं है। चैक अभियुक्त के खाते का है। समन पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है। न्यायालय की आदेशिका पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है। इसलिए ये कहना कि अभियुक्त हस्ताक्षर करना नहीं जानता, स्वीकारयोग्य नहीं है। अभियुक्त द्वारा लोन कब लिया, क्यों लिया, ऐसी कोई डिफेंस पेश नहीं की गई है। उक्त धारणा का खंडन नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा कोई लोन नहीं लिया गया है, ना ही अभियुक्त गारंटर है। परिवादी द्वारा लोन से संबधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। प्रश्नगत चैक अभियुक्त का नहीं है। अभियुक्त की कोई देनदारी नहीं है। लिहाजा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

08. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न

उत्पन्न होते है :–

1. ''क्या अभियुक्त रामस्वरूप ने परिवादी को बकाया रकम के पेटे दिनांक 29.11.2018 चैक संख्या 151663 स्वयं के अकाउण्ट नम्बर 3555 राशि रूपये 77,045/–रूपये झुंझुनू केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा खेतडी का स्वयं के हस्ताक्षर कर परिवादी को भुगतान के आश्वासन के साथ सुपुर्द किया। परिवादी ने उक्त चैक को समाशोधन हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत किया जो ''अपर्याप्त राशि'' के रिमार्क के साथ अनादरित कर परिवादी के बैंक को लौटा दिया गया एवं परिवादी को उक्त चैक प्रदर्श पी–1 के अनादरण की सूचना प्राप्त होने के उपरांत अभियुक्त को एक विधिक नोटिस विहित समयावधि के भीतर पेश किया, जो अभियुक्त को प्राप्त हो गया, जिसके बावजूद भी अभियुक्त ने विहित समयावधि के भीतर उक्त चैक में वर्णित राशि परिवादी को अदा नहीं की, जिस पर परिवादी द्वारा विहित समयावधि के भीतर न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया है ?''

2. यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार है ?''

09. उक्त विचारणीय बिन्दु के निस्तारण के लिए यदि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो माननीय न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या परिवादी द्वारा हस्तगत प्रकरण के बाबत् विधिक औपचारिकता पूर्ण की गई है तो इस संबंध में परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रश्नगत चैक प्रदर्श 01, लगायत प्रदर्श 06 का अवलोकन करे तो प्रदर्श 01 दिनांक 29.11.2018 को जारी किया जाना एवं दिनांक 03.12.2018 को अपर्याप्त राशि के आधार पर अनादरित होना प्रकट है तथा दिनांक 22.12.2018 को अभियुक्त को नोटिस प्रदर्श 03 प्रेषित किया जाना तथा नोटिस अभियुक्त को प्राप्त होना प्रकट है। इस प्रकार से चैक अनादरित होने के एक माह के भीतर अभियुक्त को नोटिस प्रेषित करना प्रकट है तथा नोटिस प्राप्ति के पश्चात हस्तगत परिवाद परिसीमा में प्रस्तुत किया जाना अर्थात दिनांक 29.01.2019 को पेश किया जाना प्रकट है। इस प्रकार से परिवादी द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताएं पूर्ण की गई है। अतः न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण में समस्त विधिक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना परिवादी द्वारा साबित किया

गया है।

10. जहॉ तक प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में परिवादी का स्पष्ट कथन है कि प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा जारी किया गया है। यद्यपि अभियुक्त का कथन है कि उसके खाली चैक का परिवादी द्वारा दुरूपयोग किया गया है,चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है किंतु अभियुक्त का खाली चैक परिवादी के कब्जे में कैसे आया है ऐसी अभियुक्त की कोई साक्ष्य नहीं है। प्रश्नगत चैक गुम हुआ हो अथवा खो गया हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। चैक के दुरूपयोग बाबत अभियुक्त ने कोई आपराधिक कार्यवाही की हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा इस प्रकार से यह नहीं माना जा सकता कि प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर न हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत चैक हस्ताक्षर की भिन्नता के आधार पर अनादरित नहीं हुआ है, बल्कि अपर्याप्त राशि के आधार पर अनादरित हुआ है। लिहाजा उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना साबित है। धारा 118 (क) परक्राम्य विलेख अधिनियम में उपबंधित है कि जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, प्रतिफल के विषय में हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ, रचित या लिखी गई थी। न्यायिक दृष्टान्त 2019 (1) DCR 612 (SC) BASALINGAPPA VS MUDIBASAPPA में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

We having noticed the ratio laid down by this court in above, case on Sections 118 (a) and 139, we now summarise the principles enumerated by this Court in following manner :-

(1) Once the execution of cheque is admitted Section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt or other liability.

(2) The presumption under Section 139 is a rebuttable resumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of

proof for rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.

(3) To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise a probable defence. Inderence of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which they rely.

(4) That is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a presuasvie burden.

11. इस प्रकार से उक्त विधिक उपधारणा एवं माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त में उपबंधित सिद्धान्तों की रोशनी में चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना साबित है।

12. अब माननीय न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि क्या परिवादी के प्रति अभियुक्त को प्रश्नगत चैक में वर्णित राशि बकाया थी तथा उक्त बकाया राशि के पेटे अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक जारी किया गया।

13. जहां तक परिवादी द्वारा अभियुक्त को कृषि भूमि पर ट्रेक्टर व अन्य कृषि संयंत्र के लिए ऋण देने का प्रश्न है। इस संबंध में परिवाद पत्र के अवलोकन से यह प्रकट है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को कितनी राशि का ऋण प्रदान किया गया और कौन सी तारीख को दिया, ऐसा कोई विशेष उल्लेख अपने परिवाद में नहीं किया गया है। इस संबंध में परिवादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में परिवाद पत्र के अंकित तथ्यों की पुनरावृति की है तथा **दौराने जिरह** कथन किया है कि लोन ट्रेक्टर मय कृषि यंत्र पेटे दिया गया था। लोन भगवती व रामस्वरूप दोनों के नाम से था। चैक अभियुक्त रामस्वरूप स्वयं देकर के गया था, इस कारण हमने रामस्वरूप का

चैक बैंक में लगाया था। भगवती ने चैक नहीं दिया था। मुझे नहीं पता कि जिस ट्रेक्टर पेटे लोन लिया गया था, उसका रजिस्ट्रेशन भगवती के नाम है या नहीं। मुझे पूर्व शाखा प्रबंधक ने बताया था कि रामस्वरूप स्वयं यह चैक भरा हुआ शाखा में देकर के गया था। यह कहना सही है कि चैक प्रदर्श पी 01 में अंकित राशि, खाता संख्या अलग–अलग राइटिंग में है। अज खुद कहा कि खाता संख्या बैंक वाले भरते हैं। अभियुक्त द्वारा जमा कराई राशि उसके ऋण खाते में जमा है। अभियुक्त द्वारा कितने रूपये जमा करवायो मुझे इसकी जानकारी नहीं।

14. बचाव साक्ष्य में अभियुक्त रामस्वरूप द्वारा स्वयं को डी0डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित करवाया है तथा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी माता भगवती देवी उर्फ भगवानी देवी ने झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा खेतड़ी से लोन लिया था, जसका हमने किश्तों के हिसाब से भुगतान किया था, जिसकी रसीदें मैं आज न्यायालय में साथ लेकर के आया हूं। लोन की रसीदें प्रदर्श डी 01 लगायत प्रदर्श डी 10 है। जब कोर्ट का नोटिस मुझे मिला तो मैंने बैंक वालों से जाकर के कहा कि आपने न्यायालय में मुकदमा क्यों किया है, मैं वैसे ही भुगतान कर देता। मैं जब बैंक में गया, बकाया भुगतान कर रहा था लेकिन बैंक के कर्मचारियों ने कहा कि अब तो न्यायायल में ही पैसे देने होंगे। मैं अनपढ़ आदमी हूं, मेरी माताजी भी अनपढ़ थी। मेरी माता का अब देहांत हो चुका है। मैंने लोन से कई गुणा पैसा बैंक में जमा करवा दिया। कई दिन पहले साल मुझे आज ध्यान नहीं, एक बैंक कर्मचारी हमारे गावं के किसी व्यक्ति के पास आया था तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आपका लोन माफ हो जायेगा, आपने तो पहले से ही काफी रूपये दे रखे हैं। बैंक वालों ने मेरा खाली चैक लिया था, चैक पर मैंने हस्ताक्ष्ज़र नहीं किये थे क्योंकि मुझे हस्ताक्षर करने नहीं आते। बैंक में मैंने करीब 10 लाख रूपये जमा करा दिये। मैंने व मेरी माता ने 05 लाख रूपये का लोन लिया था।

दौराने जिरह कथन किया है कि हमने बैंक से पांच लाख रूपये का लोन लिया था। लोन लिया, उसकी तारीख, महीना, साल ध्यान नहीं ना ही यह ध्यान कि कितने समय के लिए लोन लिया था। लोन पर ब्याज की दर क्या थी, मुझे नहीं ध्यान। मुझे नहीं

पता कि प्रदर्श 01 मेरे खाते का है या नहीं। यह कहना सही है कि झुंझुनू केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा खेतड़ी में हमारा खाता है। प्रदर्श 01 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। बाजार में जो बैंक है, वहां पर मैं चैकबुक लाने के लिए नहीं गया। लोन ट्रेक्टर पर लिया था, कृषि यंत्र पर नही लिया। मैं चैक देने के लिए नहीं गया। यह कहना सही है कि नोटिस प्रदर्श पी 05 का मैंने जवाब नहीं दिया। अज खुद कहा कि मुझे नोटिस मिला ही नहीं। मेरे बयान मुलजिम में मैंने यह नहीं बताया कि चैक मेरे द्व ारा नहीं दिया गया है, मैंने चैक पर हस्ताक्षर किये या नहीं। अज खुद कहा कि मुझे उस समय किसी ने पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने यह बात नहीं बताई। मुझे नहीं पता कि प्रदर्श डी 01 लगायत प्रदर्श डी 03 खाता नंबर केटी3–178 के है या नहीं। प्रदर्श डी04, प्रदर्श डी05, प्रदर्श डी09 व प्रदर्श डी10 पर क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। प्रदर्श डी06 लगायत प्रदर्श डी08 में केडी 113 लिखा हो तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता केटी लिखा हुआ ट्रेक्टर के लिए आता है व केडी लिखा हुआ डेयरी के लिए आता है। मुझे नहीं पता कि केटी/45 दूसरे खाते की रसीदें हों। अज खुद कहा कि मेरा ट्रेक्टर के अलावा एक लोन डेयरी का भी है। डेयरी का लोन मैंने जमा नहीं कराया बल्कि वो पैसे ट्रैक्टर के लोन में ही बैंक में जमा कर लिये तथा डेयरी के लोने के लिए कहा कि यह माफ हो जायेगा।

इस प्रकार से पक्षकारो की आई साक्ष्य का अवलोकन करे तो जहां तक अभियुक्त भगवती के कृषि भूमि के ट्रेक्टर अन्य कृषि संयंत्र के लिए ऋण देना जिसकी अदायगी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत चैक जारी करने का प्रश्न है तो इस संबंध में परिवादी पक्ष को सर्वप्रथम यह तथ्य साबित करना था कि अभियुक्ता भगवती उर्फ भगवानी द्वारा ट्रेक्टर व अन्य संयंत्र के लिए ऋण लिया गया था जिसकी अदायगी पेटे अभियुक्त द्वारा चैक जारी किया, किंतु इस बाबत परिवादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि उपरोक्त लोन कब लिया गया, कितनी राशि का लिया गया तथा ऋण लेने की क्या–क्या शर्तें थीं, इस बाबत भी कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त रामस्वरूप की हस्तगत प्रकरण में क्या भूमिका है, ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त रामस्वरूप अभियुक्ता भगवती उर्फ भगवानी का

गारंटर हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। परिवादी के पास अभियुक्त का चैक कैसे आया, इस बाबत भी कोई साक्ष्य नहीं है।

यद्यपि अभियुक्त द्वारा अपने 313 सीआरपीसी के कथनों में यह तथ्य स्वीकार कि या है कि उसके 70,000/– रूपये राशि परिवाद प्रस्तुत करते समय बकाया थी, किंतु इस संबंध में दस्तावेज डी08 दिनांक 24.06.2019 का है जिसमें 1,00,000/– रूपये परिवादी बैंक में जमा कराने की रसीद है जो कि परिवाद प्रस्तुति के बाद की है। इसके अलावा प्रदर्श डी01 लगायत प्रदर्श डी07 में भी मृतक अभियुक्त भगवती उर्फ भगवानी के बैंक में राशि जमा कराने की रसीदें हैं जो कि कुल राशि 812064/– रूपये है। इस प्रकार से उपरोक्त राशि जमा कराई जाना प्रकट है। जबकि अभियुक्त द्वारा भी पांच लाख रूपये की राशि का लोन लेने का कथन किया है।

यद्यपि परिवादी का तर्क है कि लोन कब लिया गया, क्यों लिया ऐसी कोई डिफेंस अभियुक्त द्वारा पेश नहीं की गई है। जबकि इस संबंध में न्यायालय का मत है कि उपरोक्त तथ्य साबित करने का प्राथमिक दायित्व परिवादी का था। परिवादी को यह तथ्य साबित करना था कि लोन के पेटे अभियुक्त द्वारा चैक दिया गया था तथा चैक में वर्णित राशि अभियुक्त के प्रति बकाया थी, किंतु ऐसी कोई साक्ष्य परिवादी द्वारा पेश नहीं की गई है।

परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में दौराने जिरह स्वीकार किया है कि लोन भगवती और रामस्वरूप दोनों के नाम से था, जबकि परिवाद में ऋण भगवती द्वारा लेना कथन किया है। प्रश्नगत ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन किसके नाम है, इस बाबत भी कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्त द्वारा कितनी राशि ऋण खाते में जमा करायी, इस बाबत भी कोई जानकारी नहीं होना कथन किया है। इसके अतिरिक्त ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि लोन की क्या शर्तें थीं, उसके उपर कितना ब्याज अदा करना था। इस प्रकार से परिवादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे कि यह तथ्य साबित हो कि अभियुक्त भगवती उर्फ भगवानी व अभियुक्त रामस्वरूप द्वारा परिवादी

बैंक से लोन लिया था तथा जिसके 70,045/– रूपये बकाया थे, जिसकी एवज में ही प्रश्नगत चैक अभियुक्त रामस्वरूप द्वारा जारी किया गया था।

15. लिहाजा उपरोक्त विवेचनानुसार परिवादी यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि परिवादी के प्रति अभियुक्त को 77,045/– रूपये की राशि बकाया थी, जिसकी एवज में प्रश्गनत चैक अभियुक्त रामस्वरूप द्वारा परिवादी को जारी किया गया था जबकि अभियुक्त द्वारा अधिसम्भाव्य की प्रबलता के आधार पर अपनी प्रतिरक्षा साबित की है। लिहाजा परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम का आरोप साबित करने में विफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त रामस्वरूप को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त भगवती उर्फ भगवानी को पूर्व में ही उन्मोचित किया जा चुका है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

16. परिणामस्वरूप अभियुक्त रामस्वरूप पुत्र श्री बिड़दाराम निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज. को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,

खेतडी जिला झुन्झुनूं

17. निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतडी जिला झुन्झुनूं